राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.: 0141–2711738, 2711978

क्रमांक एफ 1(207)/संस्थापन/असमावि/RAS-2018/2021/ 11139 दिनांक :– 24/12/2021

आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 यथा संशोधित नियम, 2020 के नियम 24 की अनुसूची–II के क्रम संख्या 1 के अनुसरण में कार्मिक (क–4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.9(1)कार्मिक/क–4/ 2/2021 जयपुर, दिनांक 24.12.2021 के द्वारा निम्नांकित सफल अभ्यार्थियों को राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (PROGRAMME OFFICER) में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक पर एतद्द्वारा निम्न शर्तो के अध्याधीन अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, द्वितीय तल, राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें:–

राजस्थान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (**PROGRAMME OFFICER**)

S. NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	DATE OF BIRTH	REMARK
1.	426	813337	SNEHA MAHARIYA	BC,WE	11-09-1987	Ag-GE-WE
2.	458	812555	RAMESH KUMAR	BC	03-05-1992	Ag-GE
3.	512	808604	AMAN KHAILDAR	GE	03-03-1990	
4.	515	809132	SANJAY SINGH SHEKHAWAT	GE	15-07-1994	
5.	516	808745	DINESH SARAN	BC	02-07-1997	Ag-GE
6.	517	811355	PRATEEKSHA SHARMA	GE,WE	18-08-1997	
7.	521	812624	MAMTA CHOUDHARY	BC,WE,DV,RG	08-07-1986	Ag-GE-WE
8.	522	808765	AASHIMA KUMBHAJ	GE,WE	09-12-1987	
9.	551	811223	AKASH KUMAR SHARMA	GE	15-11-1995	
10.	559	812640	SAURABH AGRAWAL	GE	28-04-1992	
11.	570	810136	NEHA JHAJHARIA	BC,WE	11-11-1993	
12.	584	800513	NARENDRA SINGH CHOUHAN	BC	01-01-1993	Ag-GE
13.	597	808203	INDERJEET SINGH KARNAWAT	GE	23-09-1992	
14.	601	824397	MANOJ SEN	BC,NG,RG	15-01-1989	Ag-GE
15.	602	803684	SHEKHAR SHARMA	GE	16-07-1992	
16.	607	813091	ARCHI JAIN	GE,WE	14-09-1995	Ag-GE
17.	612	820851	PRERNA KACHAWAHA	BC,WE	06-09-1993	Ag-BC
18.	613	811807	BHAWANA SHARMA	BC,WE	08-10-1989	Ag-BC
19.	639	809490	RAMAN YADAV	BC	20-01-1990	
20.	763	808384	GOVIND SINGH RAWAT	MB	22-01-1985	

S. NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	DATE OF BIRTH	REMARK
21.	1225	809190	RISHABH BAGDI	ST	03-02-1994	
22.	1320	810119	AMAR SINGH MEENA	ST	04-12-1997	
23.	1336	811517	VISHRAM KUMAR MEENA	ST	03-07-1996	
24.	1546	809337	MANISH KUMAR KHINCHI	SC	20-04-1995	
25.	1555	811175	BASANT KUMAR PARSOYA	SC,RG	25-06-1987	
26.	1564	805889	GAYATRI DEVI	SC,WE	10-12-1995	
27.	1565	809156	YOGESH VERMA	SC	04-07-1982	
28.	1567	810061	RAVI KUMAR RACHHOYA	SC,RG	04-05-1992	
29.	1703	809757	MUKESH DHANKHAR	BC,EX	28-06-1984	
30.	1716	803253	MAHENDRA PRATAP SINGH	BC,EX	01-07-1983	
31.	1745	813577	BHAWANI SINGH SHEKHAWAT	GE,EX	25-01-1985	
32.	1770	810836	NANDOO SINGH	GE,EX	06-05-1981	
33.	1855	825100	TRAPTI PATHAK	GE,WE,WD,TSP-UR	26-06-1991	

1. उक्त नियुक्तियॉं एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस. बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Sehedule IV Rules no.16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉं राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 यथा संशोधित नियम, 2020 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
7. उक्त नियुक्तियॉं सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
8. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा के एक दक्ष कार्यक्रम अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

लगातार ....

9. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।

10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

11. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 09:30 बजे तक अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, द्वितीय तल, राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

12. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी (प्रपत्र संलग्न)।

14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है। परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा (प्रपत्र संलग्न)।

15. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

16. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर संलग्न प्रपत्रों में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होवें।

24.12.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

लगातार ....

क्रमांक एफ 1(207)/संस्थापन/असमावि/RAS-2018/2021/ 11140-48 दिनांक :- 24/12/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
8. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित अधिकारीगण।
10. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

24.12.2021

(डा० महमूद अली खान)
अतिरिक्त निदेशक

मूल दस्तावेजों से मिलान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...

.... पुत्र/पुत्री श्री..वरीयता क्रमांक.........................

विभाग...आज दिनांक.................................

को समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान किया गया है, जो सही पाये गए है।

अतः सेवा ज्वाइन करवाया जाना उचित होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी का नाम

विभाग का नाम

पद मय मोहर

–::घोषणा पत्र::–

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...

निवासी...

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा चयन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (अधीनस्थ सेवा) में हुआ है। मैं निम्न प्रकार से घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या................थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.स.	नम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

2. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या................है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.स.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

3. यह कि उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता/करती हूँ।

घोषणाकर्ता

::–शपथ पत्र::–

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..

निवासी...

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे विरूद्ध वर्तमान में कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है और किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं है एवं ना ही पूर्व में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित/राजीनामा/दोषमुक्त किया गया है।

शपथग्रहिता

::–सत्यापन::–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें मैने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, यदि उक्त तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता

::–शपथ पत्र::–

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...

निवासी...

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित/अविवाहित हुं। भविष्य में विवाह होने पर ना दहेज दुंगा/दुंगी एवं ना दहेज लुंगा/लूंगी।

शपथग्रहिता

::–सत्यापन::–

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें मैने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, यदि उक्त तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता

::–वचनबन्ध प्रपत्र::–

मै..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.......................................

.... निवासी...

.... वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता / करती हूँ।

वचनबद्धकर्ता

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी निम्न तैयारी के साथ उपस्थित हो

1. सभी प्रशिक्षाणार्थी कोरोना वेक्सीनेशन के दोनों खुराक का प्रमाण पत्र लायें।
2. एक खुराक अथवा कोई भी खुराक नहीं ली गई तो रिपोर्टिंग से 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव होने की रिपोर्ट लायें।
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि विवाहत है)
4. पासपोर्ट साइज फोटो की 10 प्रतियां+स्टाम्प साईज की 10 प्रतियां
5. बैंक अकाउन्ट का विवरण (बचत खाता संख्या, ब्रांच/आईएफएससी कोड, कैंसल चैक)
6. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति
7. कक्षा–10 की अंकतालिका